## महालेखाकार (लेखापरीक्षा ।) का कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम (प्रशिक्षण केन्द्र)

## OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT I) KERALA, THIRUVANANTHAPURAM (TRAINING CENTRE)

सं.ले.प./प्रशिक्षण/11-234/2024-25/ No.Au/Trg/11-234/2024-25/

दिनांक: 23 दिसम्बर 2024 Date: 23 December 2024

## अनुभागीय आदेश सं./SECTIONAL ORDER NO. 293

इस कार्यालय के निम्नलिखित अधिकारियों को 06.01.2025 से 10.01.2025 तक आरसीबीकेसी, बेंगलुरु में आयोजित होने वाले "वित्तीय लेखापरीक्षा" पर अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नामांकित किया गया है।

The following officials of this office are nominated for the All-India training programme on "Financial Audit" scheduled to be conducted at RCBKC, Bengaluru from 06.01.2025 to 10.01.2025.

| SI. No. | Name of the Official       | Designation | Section AMG III |  |
|---------|----------------------------|-------------|-----------------|--|
| 1.      | Shri Rajesh Nair           | Sr. AO      |                 |  |
| 2.      | Shri Kesavan Nampoothiri N | AAO         | F&CA            |  |

प्रतिभागी अपने आधिकारिक ईमेल आईडी का उपयोग करके साई क्षमता निर्माण पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण और प्रतिक्रिया प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। अधिकारी को साई क्षमता निर्माण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रभाव मूल्यांकन को पूरा करने के लिए भी सूचित किया जाता है, जिसे प्रशिक्षण के अंतिम दिन से 3 महीने पूरा होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना है।

The participants may complete the registration and feedback process through SAI Capacity Building Portal using their Official email IDs. The officials are also informed to complete the online impact assessment through SAI Capacity Building Portal which is to be submitted within 20 days from the date of completion of 3 months of the last day of Training.

(महालेखाकार के दिनांक 18 दिसम्बर 2024 के आदेशानुसार)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / प्रशिक्षण Senior Audit Officer/Training

## Copy to:

| 1. | अनुभागीय आदेश बुक/सूचना पट्ट | .4 | व.ले.प.अ./प्रशा., रोकड, हक .ले.प)-I)/(ले.पII)                 |
|----|------------------------------|----|---|
| 2. | संबंधित अधिकारी              | .5 | प्र.म.ले. (ले.पI)/(ले.पII) के सचिव/निजी सचिव                  |
| 3. | संबंधित समूह अधिकारी         | .6 | सी सेल/आईटी समर्थन कक्ष/हिन्दी कक्ष/सामान्य कक्ष/पी ए ओ/ आई ए |